न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 02/2025

बउनवान

कोमलप्रसाद उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री मदनमोहन जाति महाजन निवासी बांरा तहसील बांरा जिला बारां, राज०

अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, बांरा जिला बारां, राज०

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 947 दिनांक 14.02.2025 ग्राम आमापुरा तहसील बारां

उपस्थितः 1. श्री बाबूलाल जैन अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोडेण्ट)

निर्णय दिनांक 19.01.2026

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम आमपुरा तहसील बांरा मे खसरा नं. 99 रकबा 3.09 हैक्टर भूमि स्थित थी। जिसके बाबत एक मुकदमा न्यायालय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड बांरा में मुकदमा नं0 16/1997 बउनवान कोमलप्रसाद पुत्र मदनमोहन बनाम कान्हा चला जिसका निर्णय दिनांक 16.05.2001 को हुआ। जिसके अनुसार डिकी जारी की गयी थी कि प्रतिवादी विवादित आराजी की रजिस्ट्री वादी के नाम करवाये जो प्रदर्श–1 इकरार नामा के अनुसार ग्राम आमापुरा की खसरा नं. 99 रकबा 3.09 हैक्टर भूमि में से 1 बीघा भूमि 132x132 वर्ग फीट जो उत्तरी पूर्वी कोने की है, का विकय करार किया था इसके लिये इजराय सं० 27/2005 सिविल न्यायालय बांरा मे दिनांक 13.12.2011 को आदेश दिया था कि दोराने इजराय मद्यून ने खसरा नं. 99 की उत्तरी पूर्वी कोने की 1 बीघा आराजी मे से 0.0320 हैक्टर व 0.0787 हैक्टर कुल 0.11 हैक्टर भूमि राजमार्ग सं. 76 में अवाप्त करवादी थी तथा जिसकी मुआवजा राशि भी मद्यून ने प्राप्त करली है इस तरह 0.16 हैक्टर भूमि मे से 0.11 हेक्टर भूमि कम करने के केवल मात्र 0.05 हैक्टर भूमि शेष रही है। इसलिये उक्त इजराय मे आदेश दिया गया है कि मद्यून की शेष बची 0.05 हैक्टर जो इकरार नामा प्रदर्श 1 के अनुसार ग्राम आमापुरा की खसरा नं. 99 की उत्तरी पूर्वी कोने की (जो अधिग्रहण के बाद शेष बची है) का विकय पत्र डिकीदार कोमल प्रसाद के पक्ष में निष्पादित करवाये यदि मद्यून द्वारा 0.05 हैक्टर भूमि का विक्रय अनुबंध डिकीदार के पक्ष में निष्पादित नहीं करवाया जाता है तो न्यायालय के माध्यम से एक माह मे विकय पत्र का निष्पादन करवाया जावे। उपरोक्त आदेश होने पर न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट बांरा ने इजराय सं. 9/2018 मे विकय पत्र अपीलान्ट के पक्ष में 20.12.2023 को निष्पादित किया। उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो० तहसीलदार बांरा को अपीलान्ट के नाम नामान्तरकण दर्ज करना था कि जो भूमि खसरा नं. 99 से 0.11 हैक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग मे अधिग्रहण हुयी थी तथा शेष बची 0.05 हैक्टर भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक करना था। जो भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76 मे बटा नम्बर डालकर 765/99 रकबा 0.11 हैक्टर डालकर गैरमुमकिन सडक मे दर्ज करदी जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली के नाम दर्ज हो गयी जिसकी जमाबन्दी सलग्न है व नक्शा भी सलग्न है। खसरा नं. 790/590 रकबा 1.96 हैक्टर गैरमुमकिन सडक है तथा नक्शा सीट से स्पष्ट है तथा इसी खसरा नं. 790/590 के समीप 765/99 रकबा 0.11 हैक्टर दर्शाया गया है जो खसरा नं0 99 से अधिग्रहण हुयी थी जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के नाम है। शेष बची 0.05 हैक्टर भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज करना चाहिये था जैसा न्यायालय ने विकय पत्र मे लिखा है। किन्तु तहसीलदार बांरा ने बयनामा के अनुसार इन्तकाल न खोलकर 955/99 रकबा 0.05 हैक्टर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जो सरासर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.02.19 13:12:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

नाम करवाये जो प्रदर्श–1 इकरार नामा के अनुसार ग्राम आमापुरा की खसरा नं. 99 रकबा 3.09 हैक्टर भूमि मे से 1 बीघा भूमि

गलत है तथा इसके बाद इन्तकाल नं. 947 दिनांक 14.02.2025 को तस्दीक कर दिया नक्शा सीट में इसको भी अलग से दर्शाया गया है। विक्रय पत्र के विरूद्ध किसी प्रकार का स्थगन भी किसी भी न्यायालय का नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नं. 947 दिनांक 14.02.2025 ग्राम आमापुरा जो खसरा नं0 955/99 रकबा 0.05 हैक्टर गलत स्थान पर खोला गया है उसको ग्राम आमापुरा के खसरा नं. 765/99 रकबा 0.11 हैक्टर गैरमुमकिन सडक के सहारे दर्ज करने के निर्देश तहसीलदार बांरा को दिये जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण बहस उभयपक्ष हेतु नियत किया।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट बांरा ने इजराय सं. 9/2018 मे अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 20.12.2023 को निष्पादित विक्रय पत्र अनुसार इन्तकाल न खोलकर 955/99 रकबा 0.05 हैक्टर का नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जो सरासर गलत है तथा इसके बाद इन्तकाल नं. 947 दिनांक 14.02.2025 को तस्दीक कर दिया नक्शा सीट में इसको भी अलग से दर्शाया गया है। विक्रय पत्र के विरूद्ध किसी प्रकार का स्थगन भी किसी भी न्यायालय का नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नं. 947 दिनांक 14.02.2025 ग्राम आमापुरा जो खसरा नं0 955/99 रकबा 0.05 हैक्टर गलत स्थान पर खोला गया है उसको ग्राम आमापुरा के खसरा नं. 765/99 रकबा 0.11 हैक्टर गैरमुमकिन सडक के सहारे दर्ज करने के निर्देश तहसीलदार बांरा को दिये जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने विधिक दृष्टांत 2024 आरबीजे 15 तथा 2025(1) आरआरटी 23 की छायाप्रतियां पेश करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की।

बहस के दौराने पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खंडन करते हुए कथन किया कि माननीय न्यायालय सिविल जज वरिष्ठ खण्ड द्वारा दिनांक 16.05.2001 को पारित निर्णय अनुसार ख.नं. 99 जिसका वर्तमान में रकबा 1.02 हैक्ट. है, में ही अपीलाण्ट को 0.05 हैक्ट. भूमि दी गई है। वर्ष 1992 में खसरा नं. 99 का रकबा 3.09 हैक्ट. था, 33 वर्ष की समयावधि पश्चात भूमि के रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में खसरा नं. 99 का रकबा 1.02 हैक्ट. ही है, जिसमें से माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में अपीलाण्ट के खाते 0.05 हैक्ट. भूमि दर्ज की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया चूंकि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में खसरा नं. 99 का रकबा 1.02 हैक्ट. में से ही अपीलांट के खाते 0.05 है. भूमि दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,बांरा
जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.02.19 13:12:13 IST
Reason: SelfAttested

... नाम करवाये जो प्रदर्श–1 इकरार नामा के ...